

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- रसगण

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

रजू दिनांक

14.07.2015

अन्तिम निर्णय दिनांक

28.05.2018

दावा

112/15

अनुवान

1. गुरुमुखसिंह पुत्र आसूसिंह जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:-वादी

बनाम

1. किमतबाई पत्नी स्व0 श्री सेवासिंह, जाति लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
2. महेन्द्रसिंह
3. बाबूसिंह
4. अमीरसिंह
5. अवतारसिंह पुत्रान सेवासिंह जातियान लबानासिख निवासी अगवानी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

:-प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन
मय हु0ई0दवामी



--:अन्तिम पर्चा डिक्री:--


दिनांक:- 28.05.2018

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

विवादित आराजी ख0 नं0 02 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम अगवानी तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(महेश चन्द्र मान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)